राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन 2010-2011

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2010–2011

पार्ट–1

1. **कारागार विभाग का उद्देश्य**

न्यायालय से अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए, राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. **संरचनात्मक व्यवस्था**

राजस्थान का कारागार विभाग प्रबन्ध और प्रशासन की दृष्टि से राज्य के गृह विभाग के अधीन है। कारागार विभाग का मुख्यालय, जयपुर में है तथा इसके विभागाध्यक्ष महानिदेशक एवं महानिरीक्षक हैं। कारागार विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 मंडलों में विभाजित किया हुआ है। दिनांक 28.11.10 से उप महानिरीक्षक कारागार के तीन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर उदयपुर एवं जोधपुर में स्थापित किये गये हैं। उप महानिरीक्षक कारागार, उदयपुर का कार्य क्षेत्र उदयपुर, अजमेर व कोटा मंडल तथा उप महानिरीक्षक कारागार, जोधपुर का कार्य क्षेत्र जोधपुर व बीकानेर मंडल हैं तथा उप महानिरीक्षक कारागार , जयपुर को कार्यक्षैत्र जयपुर एवं भरतपुर मण्डल है। राज्य में कारागार विभाग की 123 संस्थाएं संचालित है जिनका संख्यात्मक विवरण निम्न भांति है– (परि. "ए")

1	क्षेत्रीय कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार	3
2	केन्द्रीय कारागृह	8
3	जिला कारागृह "ए" श्रेणी	3
4	जिला कारागृह "बी" श्रेणी	22
5	उप कारागृह	60
6	महिला बंदी सुधारगृह	2
7	किशोर बंदी सुधार गृह	1
8	बंदी खुले शिविर	23
9	कारागार प्रशिक्षण संस्थान	1
	योग	123

3. **प्रशासनिक व्यवस्था**

वर्तमान में कारागार विभाग, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के प्रभार में है। महानिदेशक के सहयोग के लिए महानिदेशालय कारागार में निम्नांकित राजपत्रित अधिकारियों के पद स्वीकृत है :–

1 अतिरिक्त महानिदेशक कारागार
2 मुख्य लेखाधिकारी
3 सहायक विधि परामर्शी
4 सहायक लेखाधिकारी (ए) जेल
5 सहायक लेखाधिकारी (बी) जेल (वाणिज्यिक)
6 सहायक लेखाधिकारी (अंकेक्षण)
7 उपाधीक्षक (सामान्य)
8 उपाधीक्षक (भण्डार)